न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–पीयुष सामारिया
आई0ए0एस0
प्रा0 पत्र सं0 37/2008: आवंटन नियम.14(4)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय जाति सैन निवासी दौसा तहसील दौसा जिला

..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक: 24.11.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सैंथल द्वारा दिनांक 23.06.1989 को ग्राम चक हबीबवाला तहसील दौसा के आ0ख0नं0 252/1 रकबा 0.75 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी को कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर तहसीलदार दौसा से आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त तलब की गई।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सैंथल द्वारा अप्राथी जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय जाति सैन निवासी दौसा तहसील दौसा जिला दौसा को दिनांक 23.06.1989 को ग्राम चक हबीबवाला तहसील दौसा के आ0ख0नं0 252/1 रकबा 0.75 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किंतु अप्रार्थी द्वारा आवण्टित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि कृषि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटिती द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण प्रार्थी को दिनांक 23.06.1989 को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी बाद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हुए उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न प्रमाणित छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ठ होता हे कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सैंथल द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 23.06.1989 को ग्राम चक हबीबवाला तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नंबर 252/1 में से 0.75है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2054 से 2057 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटिती द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना में आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त कर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाना प्रमाणित है, जिससे आवंटन का प्रयोजन ही समाप्त हो

जाता है। अतः आवंटन सलाहकार समिति कैंम्प सैंथल द्वारा दिनांक 23.06.1989 को अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आवंटन नियम 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति कैम्प सैंथल की बैठक दिनांक 23.06.1989 द्वारा ग्राम चक हबीबवाला में अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख मण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 24 नवंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official